



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022021-225398  
CG-DL-E-23022021-225398

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 2021/फाल्गुन 4, 1942

No. 89]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 2021/PHALGUNA 4, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 130(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल, सिगनल इंजीनियरी और दूरसंचार विभाग वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल, सिगनल इंजीनियरी और दूरसंचार विभाग में सहायक कार्यपालक सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण संगठन में) या सहायक मंडल सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (मंडलों में) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, सहायक कार्यपालक सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण संगठन में) या सहायक मंडल सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (मंडलों में) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. – कोई भी व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक कार्यपालक सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय तथा निर्माण संगठन में) या सहायक मंडल सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर (मंडलों में)	119* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>(i) 70% चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा; और</p> <p>(ii) 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>(क) 70% रिक्तियां सिगनल और दूरसंचार इंजीनियरी विभाग के अननुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) और उससे ऊपर में की हो, द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और सेवा के अभिलेख का निर्धारण सम्मिलित होगा) द्वारा भरी जाएंगी।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ख) 30% रिक्तियां सिगनल और दूरसंचार इंजीनियरी विभाग के अननुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) और उससे ऊपर में की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और सेवा के अभिलेख का निर्धारण सम्मिलित होगा) द्वारा भरी जाएंगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर - अध्यक्ष 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी -सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1 प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर - अध्यक्ष 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी -सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 2016/ई(जी)आरआर/15/2/एस एंड टी]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव (गोपनीय)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2021

**G.S.R. 130(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways, Department of Signal Engineering and Telecommunication, Group 'B' posts Recruitment Rules, 1979 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Executive Signal and Telecommunication Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Organization) or Assistant Divisional Signal and Telecommunication Engineer (in Divisions) in the Signal and Telecommunication Engineering Department of the Indian Railways, namely :-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railways, Assistant Executive Signal and Telecommunication Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Organization) or Assistant Divisional Signal and Telecommunication Engineer (in Divisions), Group 'B' Gazetted Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification, and the level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Executive Signal and Telecommunication Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Organization) or Assistant Divisional Signal and Telecommunication Engineer (in Divisions).	119* (2021) *Subject to variation dependent on work load.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47,600-1,51,100)	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	<b>By promotion:</b> (i) 70% by promotion through selection and	(a) 70% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a

		<p>(ii) 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.</p>	<p>written test, viva-voce and assessment of record of service) from amongst non-ministerial Group 'C' staff of the Signal and Telecommunication Engineering Department holding the post in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix with three years regular service in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years' whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(b) 30% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) from amongst non-ministerial Group 'C' staff of the Signal and Telecommunication Engineering Department holding the post in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix with five years regular service in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix.</p>
--	--	--	---

<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.</p>
<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer -Chairman</li> <li>2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Department represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member.</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <p>1 Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer –Chairman</p> <p>2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and</p> <p>3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Department represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member.</p>	
---	--

[F. No. 2016/E(G)RR/15/2/S&amp;T]

NAVIN KUMAR Jt. Secy. (Confidential)